प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

–

गणपूर्ति :- माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायधीश एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायधीश

दांडिक अपील संख्या 844/1996

खोरबहरा

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

और

(सम्बद्ध दांडिक अपील क्रमांक 1098/1996)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु प्रस्तुत

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता
न्यायधीश

मैं सहमत हूँ
हस्ताक्षरित/-
मुख्य न्यायधीश

निर्णय हेतु दिनांक 22.08.2012
को सूचीबद्ध करे

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

गणपूर्ति:- माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायधीश एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायधीश

दांडिक अपील संख्या 844/1996

अपीलार्थी:- खोरबहरा आत्मज माखन सतनामी उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी कुलिकपोटा थाना खरोरा जिला रायपुर मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

बनाम

प्रत्यर्थी:- मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

और दांडिक अपील संख्या 1098/1996

अपीलार्थी:- साधराम उर्फ़ साधू आत्मज श्याम रतन उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी

कुलिकपोटा, थाना खरोरा जिला रायपुर मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

प्रत्यर्थी:- मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

उपस्थिति:- अपीलार्थीओं की ओर से श्रीमती सविता तिवारी अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से, श्री अरविन्द दुबे सूचीबद्ध अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(22.08.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय श्री **सुनील कुमार सिन्हा न्यायधीश द्वारा** अनुसार सुनाया गया:-

(1) यह अपीलें रायपुर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायधीश के द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 197/92 में दिनांक 06.05.1996 को पारित निर्णय के विरूद्ध हैं । उक्त निर्णय में अपीलार्थी खोरबहरा को धारा 302 और अपीलार्थी साधराम उर्फ़ साधु को 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोष सिद्ध ठहराया गया है और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है ।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:- (2) मृतक छविदास और तीन अन्य आरोपी जिनका नाम खोरबहरा (आरोपी क्र. 1) भुनेश्वर उर्फ़ भकला (आरोपी क्र. 2) और साधराम उर्फ़ साधू (आरोपी क्र. 3) एक ही गाँव के निवासी थे । 26 और 27 फरवरी 1992 की रात को उन्होंने जुआ खेलने की योजना बनाई । जुआ खेलने के लिए उन्होंने गाँव के बाहरी इलाके में स्थित महामाया देवी परिसर को चुना ।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि जुआ खेलते समय उनके बीच झगडा शुरू हो गया और आरोपियों ने मृतक पर लाठी और पत्थरों से हमला किया । मृतक को कई गंभीर चोटें आईं और उन्ही चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । इस घटना को जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) और छन्नू (अभियोजन साक्षी 8) ने देखा था । जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) ने 27 फरवरी, 1992 को सुबह 8:00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर. - प्रदर्श-पी/14) दर्ज कराई। सुबह 8.20 बजे मृत्यु की सूचना (प्रदर्श.-पी/22) भी दर्ज की गई। डॉ. डी.एन. बिजवे (अभियोजन साक्षी 6) ने शव परीक्षण किया। उन्होंने मृतक के शरीर पर खोपड़ी की हड्डी टूटने सहित कई गंभीर चोटें देखीं और राय दी कि मृत्यु का कारण, बार-बार किए गए प्रहारों के कारण खोपड़ी में फ्रैक्चर और मस्तिष्क में दबाव के कारण कोमा था, और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्र.-पी/12 है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) और छन्नू (अभियोजन साक्षी 8) के बयानों पर भरोसा करते हुए माना कि यह सिद्ध हो गया है कि मृतक पर उपरोक्त दो अपीलार्थीगण द्वारा हमला किया गया था, उसे कई गंभीर चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए अपीलार्थीगण उपरोक्त दंड के पात्र हैं। हालांकि, तीसरे आरोपी भुनेश्वर उर्फ भकला (आरोपी क्र. 2) को दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि छन्नू (अभियोजन साक्षी 8) अपनी जिरह की कंडिका-19 में इस आरोपी की संलिप्तता से संबंधित अपने 161 द.प्र.सं. के बयान (प्र.-डी/2) में हुई चूक का स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थीगण की ओर से पेश हुईं विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी ने तर्क दिया कि जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) और छन्नू (अभियोजन साक्षी 8) विश्वसनीय गवाह नहीं थे; इसलिए, उनकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। अपीलार्थी साधराम उर्फ साधु (आरोपी क्र.3) की ओर से उन्होंने तर्क दिया कि एफ.आई.आर. में साधु पर कोई प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप

नहीं लगाया गया है, जबकि एफ.आई.आर. एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा दर्ज की गई थी, इसलिए उपरोक्त गलती अभियोजन पक्ष के लिए घातक थी।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सूचीबद्ध अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) ने गवाही दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को छबीदास (मृतक), खोरबहरा (आरोपी 1), भकला (आरोपी 2), साधु (आरोपी 3), बनवा और छन्नू (अभियोजन साक्षी 8) महामाया मंदिर में उनके साथ मौजूद थे। वे वहाँ जुआ खेल रहे थे। उन्होंने जुए में 220 रुपये हारे । छन्नू (अभियोजन साक्षी 8) भी हार गया। छबीदास (मृतक) जुआ खेलने की जगह के पास लेटा हुआ था। वह जुए में भाग नहीं ले रहा था क्योंकि वह जुए के लिए पैसे देता था। वह दिए गए पैसों पर 20% प्रति सप्ताह की दर से ब्याज लेता था। वहाँ कुछ कहासुनी शुरू हो गई और अपीलार्थीओं ने मृतक पर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने बार-बार वार किए। तीसरा आरोपी भाकला उसके साथ ताश खेल रहा था। वह (अभियोजन साक्षी 7) तुरंत भाग गया।

(7) छन्नू (अभियोजन साक्षी 8) ने भी गवाही दी कि जुआ खेलते समय झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें अपीलार्थीगण ने मृतक पर लाठी से हमला किया। उसने जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) से अपने परिवार के सदस्यों को बुलाने को कहा। इसके बाद तीसरे आरोपी भकला ने पत्थर उठाया और मृतक के सिर पर फेंक दिया। वास्तव में, उसने घटना में सभी आरोपियों की संलिप्तता के बारे में गवाही दी। अपनी जिरह की कंडिका -19 में, उसे 161 द.प्र.सं. के अपने कथन (प्रदर्श-डी/2) में की गई गलती का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने भकला (आरोपी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्र.2) द्वारा कथित रूप से निभाई गई उपरोक्त भूमिका का उल्लेख नहीं किया था। इसलिए सत्र न्यायालय ने भकला को दोष मुक्त कर दिया।

(8) जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) ने एफ.आई.आर. (प्रदर्श.-पी/14) दर्ज कराई। यह घटना 26 और 27 फरवरी, 1992 की रात को घटी और एफ.आई.आर. (प्रदर्श.-पी/14) जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) द्वारा 27.02.1992 को सुबह 8.00 बजे दर्ज कराई गई। एफ.आई.आर. (प्रदर्श.-पी/14) में उन्होंने सभी जानकारी दी है। घटना का विस्तृत विवरण दिया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मृतक पर अपीलार्थी खोरबहरा ने हमला किया था। एफ.आई.आर. में अपीलार्थी साधराम उर्फ साधु के किसी कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया है। इसके विपरीत, यह उल्लेख किया गया है कि घटना के समय साधराम मंदिर के बाहर घूम रहा था। जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) ने एफ.आई.आर. (प्रदर्श.-पी/14) में उसके प्रत्यक्ष कृत्य से संबंधित एक भी शब्द नहीं कहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) एफ.आई.आर. किसी आपराधिक मामले से संबंधित दी गयी प्रथम जानकारी होती है, इसलिए इसकी सामग्री महत्वपूर्ण होती है। यदि एफ.आई.आर. किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा दर्ज कराई गई हो, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने पूरी घटना देखी हो और न्यायालय के समक्ष सभी विवरण देते हुए गवाही दी हो, और उसके द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में भी प्रत्येक आरोपी द्वारा किए गए व्यक्तिगत कृत्य का विवरण हो, तो एफ.आई.आर. में उनमें से किसी एक से संबंधित चूक अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित होगी। जनकलाल (अभियोजन साक्षी 7) से उनके साक्ष्य के कंडिका-34 में उपरोक्त चूक के सम्बन्ध में जिरह की गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पुलिस के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराते समय उल्लेख किया था कि अपीलार्थी साधु ने भी मृतक पर हमला किया था, और वास्तव में, मृतक पर तीनों आरोपियों ने हमला किया था।

इस प्रकार, एफ.आई.आर. (प्रदर्श.-पी/14) में उपरोक्त महत्वपूर्ण गलती के संबंध में जनकलाल द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

(10) श्री अरविंद दुबे ने तर्क दिया है कि साधराम (आरोपी क्र.3) और खोरबहरा (आरोपी क्र.1) की मंशा एक जैसी थी, इसलिए धारा 34 भा.द.सं. की सहायता से दोषसिद्धि पूरी तरह से उचित थी। हमने विद्वान सूचीबद्ध अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त कथन के आलोक में साधराम के मामले की जाँच की ।

(11) धारा 34 आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यह धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और इससे कोई ठोस अपराध उत्पन्न नहीं होता। इस धारा की विशिष्ट विशेषता अपराध में सहभागिता का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किये गए दांडिक कृत्य के दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के अंतर्गत तब उत्पन्न होता है जब ऐसा दांडिक कृत्य अपराध करने में शामिल व्यक्तियों के एक सामान्य आशय को आगे बढ़ने के लिए किया गया हो । सामान्य आशय के आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि सभी अभियुक्तों ने धारा 34 की सहायता से जिस अपराध के लिए उन पर आरोप लगाया है उसे करने की योजना बनाई थी या उनके बीच सहमति थी, चाहे वह पूर्वनियोजित हो या तात्कालिक; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध होने से पहले होना आवश्यक है। सामान्य आशय गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक आरोपी का आशय बाकी सभी को ज्ञात हो और वे भी उसमें भागीदार हों। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यही कहा है। इसलिए, भले ही कृत्यों का स्वरूप भिन्न हो, लेकिन धारा 34 के प्रावधानों को लागू करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वे एक ही सामान्य आशय से प्रेरित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) इस मामले में, एफ.आई.आर. (प्रदर्श.-पी/14) में उल्लेख किया गया है कि सभी आरोपी और गवाह महामाया मंदिर में ताश खेलने के लिए गए थे। जब अपीलार्थी साधु नहीं जीत सका, तो वह उठकर मंदिर परिसर के बाहर घूमने लगा, और एफ.आई.आर. (प्रदर्श.-पी/14) के अनुसार, अपीलार्थी खोरबहरा ने मृतक पर हमला करना शुरू कर दिया। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हमले से पहले या अचानक ही साधु का खोरबहरा के साथ कोई सामान्य आशय था। हमारा मानना है कि उपरोक्त साक्ष्यों के आलोक में, यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी साधु का अपीलार्थी खोरबहरा के साथ मृतक की हत्या करने का सामान्य आशय था।

(13) उपरोक्त कारणों से, हम अपीलार्थी साधराम उर्फ साधु (आरोपी क्र.3) की दोषसिद्धि को यथावत रखने में असमर्थ हैं और यह अपास्त किये जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) परिणामस्वरूप, अपीलार्थी साधराम उर्फ साधु द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 1098/96 स्वीकार की जाती है। उसे भ.द.वि. की धारा 302/34 के अंतर्गत दी गई सजा और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

(15) अपीलार्थी-खोरबहरा द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 844/96 के संबंध में, हमें अपील में कोई सार नहीं मिलता है, अतः, उनके द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

हस्ता.
मुख्य न्यायाधीश

हस्ता.
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Mahesh Kumar Sharma, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur